यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून के माह 12/2016 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय **पाल** नेगी, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 07.02.2018 से 12.02.2018 तक श्री वैभव शुक्ला (एएजी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र दिवाकर,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनॉक 23.12.2016 से 04.01.2017 तक श्री दानीश इकबाल वरि0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2014 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की **व्यवस्था** करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना, औषधि क्रय एवं निःशुल्क वितरण की **व्यवस्था** करना एवं मुख्यमंत्री बीमा योजना के अन्तर्गत सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक सीमित है जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015–16	–		975.76	825.48	372.92	364.99		150.28		7.93
2016–17	–	–	691.92	691.92	636.15	634.48		0.00		1.67
2017–18 (01/2018 तक)	–	1.67	105.36	105.36	978.17	880.42	–	–	–	99.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	–	–	–	–
2016–17	–	–	–	–	–	–
2017–18 (01/2018 तक)	–	–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

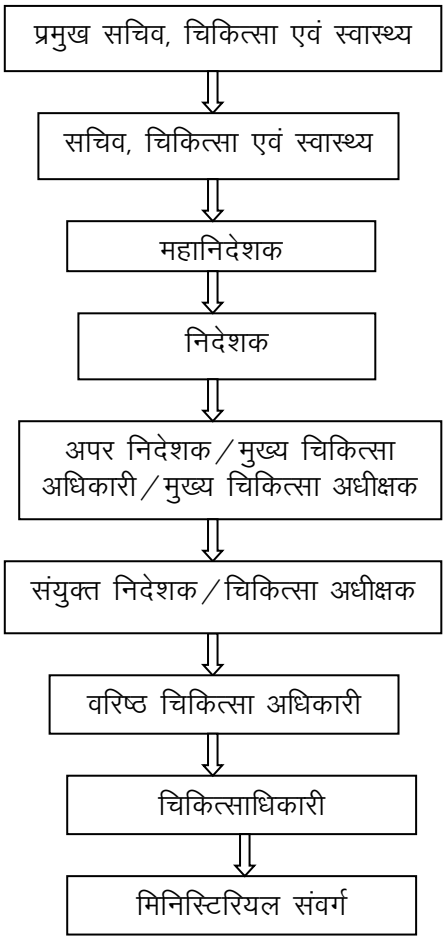

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017, को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

"भाग दो ब"

प्रस्तर:-1- संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच किए बिना निविदा स्वीकृत किए जाने से रु. 5.77 लाख का अनियमित भुगतान **l**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय देहारादून के पत्रांक संख्या:- को0चि0/निविदा भोजन / 2016-17 /400 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 (तीन वर्ष) हेतु भोजन आपूर्ति निविदा आमंत्रित की गयी l निविदा प्राप्ति की तिथि 15/07/2016 से 20/07/2016 तक, निविदा डालने की तिथि 25/07/2016 तथा निविदा खोलने की तिथि 25/07/2016 थी l निविदा प्रपत्र की मुख्य शर्तें थी दुकान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र लगे हों, सर्विस टैक्स का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न हो,अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता को किसी राजकीय चिकित्सालय/मेडिकल कालेज /नर्सिंग कालेज /प्राइवेट सेक्टर के किसी पतिष्ठित संस्थान में या इससे मिलते जुलते सरकारी संस्थान में भोजन आपूर्ति का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा अर्नेस्ट मनी रु0 23500/- की सीडीआर/एफ़डीआर जो की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय देहारादून के नाम बंधक हो l उक्त के क्रम में तीन निविदा प्राप्त हुई (मै0 कृपाल सिंह ठेकेदार, मै0 कृष्ण बल्लभ देहारादून, मै0 पुरोहित एंन्टरप्राइजेज़) जिसको क्रय समिति द्वारा मै0 कृपाल सिंह को न्यूनतम निविदादाता होने के कारण निविदा प्रदान करने की संस्तुति की गयी। इसी क्रम में द्वितीय न्यूनतम ठेकेदार (मै0 कृष्ण बल्लभ देहारादून) द्वारा उक्त मै0 के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गयी कि मै0 कृपाल सिंह का अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं है। वाबजूद इसके उक्त मै0 को बिना अनुभव प्रमाण पत्र जांच कराये निविदा स्वीकृत कर ली गयी तथा मै0 कृपाल सिंह को फरवरी 2017 तक कुल रुपये 565712/- की धनराशि का भुगतान चैक संख्या 000636 के माध्यम से किया जा चुका था (रुपये 577262 दो प्रतिशत टीडीएस काटने के उपरांत रुपये 565712/-)l द्वितीय न्यूनतम मै0(मै0 कृष्ण बल्लभ देहारादून) द्वारा उक्त मै0 के खिलाफ अपील के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोनेशन चिकित्सालय कमेटी को आदेश पारित किया गया(दिनांक 13.11.2017) कि मै0 कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विधि पूर्ण परीक्षण कर 6 सप्ताह में निस्तारण करें। जाँचोंपरांत मै0 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर जनवरी 2018 से भोजन आपूर्ति का अनुबंध समाप्त करते हुए काली सूची में डाल दिया गया तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत राशि जब्त कर ली गयी।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कि किन परिस्थितियों में निविदा खोले जाने के समय जब द्वितीय न्यूनतम ठेकेदार द्वारा उक्त मै0 के खिलाफ प्रमाण पत्र सत्य न होने की आपत्ति दर्ज कराई गयी थी तो सम्पूर्ण प्रमाण पत्र सत्यापित क्यों नही कराया गया l इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमाण पत्र सत्य प्रतीत होने के कारण जांच नही कराई गयी। उत्तर मान्य नही था क्योकि निविदा खोले जाने के समय जब द्वितीय न्यूनतम ठेकेदार द्वारा उक्त मै0 के खिलाफ प्रमाण पत्र सत्य न होने की आपत्ति दर्ज कराई गयी थी तो सम्पूर्ण प्रमाण पत्र की जांच कराई जानी चाहिए थी जिससे किसी भी प्रकार की आशंका से बचा जा सके जबकि इकाई द्वारा ऐसा नही किया गया था तथा उक्त मै0 को अनियमित भुगतान किया गया l

अतः संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच किए बिना निविदा स्वीकृत किए जाने से रु. 5.77 लाख के अनियमित भुगतान का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

"भाग दो ब"

प्रस्तर-2:- चिकित्सको को वाहन भत्ता के रूप में ₹ 7.69 लाख का अनियमित भुगतान l

उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक संख्या महा0 निदे0(सी)/वा0 भ0/2002/2224 लखनऊ, दिनांक 06 सितंबर, 2000 के अनुसार पीएमएचएस एवं दंत चिकित्सक सेवा वर्ग के चिकित्साधिकारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ शासनादेश संख्या सा-4-229/दस 2000-626-2000 दिनांक 10 मार्च 2000 द्वारा वाहन भत्ता भी पुनरीक्षिति की गयी थी l

इस संबंध में यह भी आदेशित किया गया था कि वाहन भत्ता चिकित्सकों को उनके सामान्य कार्य के घंटों के अतिरित माह में कम से कम 25 विजिट पर ही अनुमान्य होगा एवं इसके लिए विजिट रजिस्टर रखना होगा l महीने के अंत में प्रत्येक चिकित्सक अपने पास रखे विजिट रजिस्टर को अपने अगले उच्चाधिकारी को दिखाकर यह प्रमाण पत्र दे कि उसने महीने में आवश्यक 25 अतिरिक्त विजिट पूरी कर ली है l उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन करने हेतु भी निर्देशित किया गया था l

साथ ही उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वे0 अ0- सा0 नि0) अनु0-7 संख्या-700/XXVII(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितंबर 2013 के अनुसार सरकारी कार्य में की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियमों वाहन भत्ता पुनरीक्षित किया गया था जिसके अनुसार मोटर कार (जहां औसत स्थानीय यात्रा प्रतिमाह से अधिक हो) को ₹ 1000/- से पुनरीक्षित कर ₹ 2700/- कर दिया गया था l

कार्यालय के लेखा अभिलेखों में जांच में यह पाया गया कि 11 चिकित्सकों द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ₹ 7.69 लाख (संलग्न विवरण के अनुसार) का वाहन भत्ता दिया गया था जबकि किसी भी किसी भी चिकित्सक द्वारा विजिट रजिस्टर नही बनाया गया था नही इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि उनके द्वारा अतिरिक्त 25 विजिट पूरी कर ली हो बावजूद इसके उनको वाहन भत्ता अनुमन्य किया जा रहा था जो लेखा परीक्षा तिथि तक जारी था तथा अनियमित था l

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से ही वाहन भत्ता दिया जाता रहा है। इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि बिना विजिटिंग प्रमाण प्रस्तुत किए वाहन भत्ता अनुमन्य नही किया जाना चाहिए था l

अतः चिकित्सको को वाहन भत्ता के रूप में ₹ 7.69 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है l

"भाग दो ब"

प्रस्तर:-3- बीमा कंपनी द्वारा रु. 9.43 लाख की प्रतिपूर्ति न किया जाना l

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 100–XXXVIII-4-2015-58/2014 TC दिनॉक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गये थे। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनॉक 26.01.2015 से किया गया, जिसके आदेश बिन्दु संख्या 5 (1) एवं (2) के अनुसार रु0 50,000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर रु0 335 X कुल आर0एस0बी0 आई0 आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर0एस0बी0आई0 आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम0एस0बी0वाई0 के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत–प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत अगस्त 2016 से नवंबर 2017 के दौरान कुल 656 बीमित रोगियों का ईलाज चिकित्सालय में किया गया, जिसके सापेक्ष हुए रु0 4571850.00 के व्यय की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी **द्वारा की जानी** थी, परंतु विमित कम्पनी (बजाज एलियांज इन्सुरेन्स कम्पनी/एम0 डी0 इण्डिया) द्वारा मात्र 558 क्लेमों को एप्रुव किया गया(धनराशि 3127900.00) जिसमे भी वर्तमान तक 393 क्लेमो की प्रतिपूर्ति (धनराशि 2185400.00) की गई तथा लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2018 तक) तक 165 क्लेमों की धनराशि रु0 942500.00 की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जानी अवशेष थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर विचाराधिन है उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा इकाई को जानी थी साथ ही नवंबर 2017 से ही कम्पनी से अनुबंध भी समाप्त हो चुका है ।

अतः बीमा कम्पनी द्वारा ₹ 9.43 लाख की प्रतिपूर्ति न किये जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
10 / 2007–08	1,2	1,2,3,4	
42 / 2012–13	–	1,2	1
50 / 2014–15	–	1,2,3,4,5	
116 / 2016–17	–	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नही की गई थी तथा लेखा परीक्षा दल को यह अवगत कराया गया कि विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार कर **सीधे** उपमहालेखाकार को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. औषधि की स्टॉक पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया जा रहा था।
2. चिकित्सालय में यूजर चार्जेज की रसीद बुकों एवं उससे सम्बन्धित पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार **व्यक्त** करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i)
(ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 एल सी पुनैठा	मुख्य चिकित्सा अधिक्षक	17.11.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.